

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-३-४/०८/३/एक
प्रति,

भोपाल, दिनांक ३१-५-०८

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र.गवालियर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
मध्य प्रदेश ।

विषयः— सार्वजनिक उपकर्मों के कर्मचारियों की संविलियन की सेवा शर्तों
का निर्धारण ।

सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 11.2.2008 में
मध्य प्रदेश सार्वजनिक उपकर्मों के अपवादिक मामलों में उत्कृष्ट योग्यता तथा
अहंता रखने वाले कर्मचारी का लोक सेवा में संविलियन किये जाने का निर्णय
लिया गया है। इन कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण निम्नानुसार किया
जाता है :—

(एक) वेतन का निर्धारणः—

- (अ) अतिशेष होने के ठीक पूर्व धारित पद का वेतनमान संविलियन के
पद के बराबर या अधिक होने पर
- (i) ऐसे पदों पर की गयी अस्थायी / स्थायी सेवा के पूर्ण वर्षों की
संबंधित कर्मचारी के प्रारंभिक वेतन का निर्धारण करने के लिये
गणना में लिया जावेगा ।
- (ii) ऐसी निरंतर सेवा को ही जिसमें विभिन्न विभागों के अधीन पदों
पर कर्तव्य की अवधियां एवं भत्तों सहित सेवा अवकाश जिसकी
गणना उस पद पर वेतनवृद्धि के लिये की जाना अनुमत हो, शामिल
होगा। अस्थायी/स्थायी सेवा के पूर्ण वर्षों को ही गणना करने
के लिए हिसाब में लिया जावेगा ।
- (iii) उक्त कर्मचारियों को वेतन के निर्धारण के परिणाम स्वरूप होने वाली
वित्तीय हानि यदि कोई हो, से बचाने की दृष्टि से ऐसे कर्मियों द्वारा
संविलियन के पूर्व पद पर प्राप्त किया गया अंतिम वेतन और नये पद
पर निर्धारित किया जाने वाले वेतन के बीच के अन्तर की राशि

“व्यक्तिगत वेतन” कि रूप में प्राप्त होगी जिसे आगामी वेतनवृद्धि में समाहित किया जावेगा।

(दो) वरिष्ठता का निर्धारण :-

मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 12 (3) के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा :—

(i) नये कार्यालय में अतिशेष कर्मचारी, उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए पूर्व कार्यालय में की गई पिछली सेवा के लाभ के हकदार नहीं होगे तथा ऐसे कर्मचारी उनकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में माने जायेगे। (नियम 12(3)(ग))

(ii) उपरोक्त कार्यालयों के विशिष्ट संवर्ग के दो या दो से अधिक अतिशेष कर्मचारियों को किसी दूसरे कार्यालय या विभाग में किसी संवर्ग में अलग-अलग तारीखों में संविलियन किया गया है तो नए कार्यालय/विभाग में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वहीं रहेगी, जो उनके पूर्व कार्यालय में थी, परन्तु इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति की सीधी भरती के लिए न चुना गया हो। (नियम 12 (3) (घ))

(तीन) सेवा भंग

पुराने पद से सेवामुक्त होने की तारीख और नए पद पर नियुक्ति की तारीख के बीच की सेवा के व्यवधान को यदि कोई हो, संबंधित कर्मचारी की, उसकी सेवामुक्ति के समय स्वीकार्य अवकाश देकर पूरा कर दिया जाना चाहिए। यदि पात्रतानुसार अवकाश अपर्याप्त हो तो उनहें शेष अवधि, जो अधिकसे अधिक छः महीने तक की होगी, असाधारण अवकाश स्वीकार किया जा सकेगा। ऐसे मामले, जिनमें व्यवधान को इस प्रकार भी नियमित न किया जा सकता हो विशेष आदेशों के लिए वित्त विभाग का अभिमत प्राप्त कर सामान्य प्रशासन विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा।

(चार) सीधी भरती माना जाएगा :-

अन्य विभागों के संविलीन कर्मचारियों को संबंधित वेतनमान में प्रारंभिक पुनरावरथा (Initial Repeat Stage) यदि कोई हो, के संदर्भ में वेतन का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, पदोन्नत कर्मचारियों से भिन्न “सीधी भरती” किए गए कर्मचारी माना जायेगा।

(पांच) अवकाश :-

- (i) तत्त्वानी पदों / सेवा के धारकों पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार अवकाश की पात्रता होगी।
- (ii) उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त पुरानी सेवाओं का लाभ, केवल अवकाश के लिये भी प्राप्त होगा, साथ ही, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक

466 / 18 / 4 / आर-1 / 64 दिनांक 17-3-64 के अनुसार ज्वाइनिंग
 2/ टाईम, स्थानांतर यात्रा भत्ता इत्यादि का लाभ मिलेगा।
 वित्त विभाग की सहमति यूओ.कमांक आर-1005 / 08 / नि.
 -चार दिनांक 30.5.08 से प्राप्त की गई है।

अकीला हशमत
 (आ॒३०८)

उप सचिव
 मध्य प्रदेश शासन
 सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.कमांक सी-3-4 / 08 / 3 / एक
 प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक ३१-५-०८

1. रजिस्टर जनरल, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जबलपुर
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल
3. सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्डौर
4. महानिदेशक प्रशासन अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव, मध्य प्रदेश राजभवन भोपाल
6. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री सचिवालय मध्य प्रदेश, भोपाल
8. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, मध्य प्रदेश भोपाल
9. मुख्य निर्वाचिन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश, भोपाल
10. सचिव, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचिन आयोग भोपाल
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्य प्रदेश, भोपाल
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ
 इन्डौर/ग्वालियर/जबलपुर।
13. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर/भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल।
15. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी मध्य प्रदेश, मंत्रालय भोपाल।
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय भोपाल
17. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल
18. सचिव, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचिन भवन द्वितीय मंजिल भोपाल
19. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल
20. अध्यक्ष, शासन के समर्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ भोपाल।

व्ही.एस.सावनेर
 (व्ही.एस.सावनेर)
 अवर सचिव
 मध्य प्रदेश शासन
 सामान्य प्रशासन विभाग